

समस्त प्रस्तुत :: श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील धनौरा
जिला सिवनी।

रा0प्र0क0 -
जैमवती बाई ।

जाति बाई

प्रस्तुत दिनांक - 02/06/2023
आवेदक

// बनाम //

शपथकर्ता के शपथपूर्वक कथन

अनावेदक

मैं, शपथकर्ता अन्तुलाल उइके पिता ठम्मु लाल उइके उम्र 65 वर्ष
जाति गोंड निवासी बरेली तहसील धनौरा जिला सिवनी मध्य प्रदेश।

मैं, शपथपूर्वक निम्न कथन प्रस्तुत करता हूँ, कि-

- 1/ यह कि आवेदक एवं अनावेदकगण सभी उपरोक्त पते के निवासी हैं।
- 2/ यह कि मैं शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मैं आवेदक/अनावेदक दोनों को भलिभाति जानता हूँ जो कि आवेदक के नाम से बरेली तहसील धनौरा पोहोच 18 रा0नि0म0 दर्ज अभिलेख है।
- 3/ यह कि आवेदक द्वारा ख0न0 282 रकबा 0.71 हे0 भूमि राजस्व रिकार्ड में भूमि स्वामी हक में 02/05/2022 को कराया गया है जिसमें उक्त सीमांकन में आवेदक/अनावेदक दोनों उपस्थित थे जिसमें आवेदित भूमि ख0न0 282 रकबा 0.71 हे0 भूमि पर कांति बाई पति हेमराज जाति अहीर का कब्जा होना पाया गया है एवं सीमांकन उपरांत भी अनावेदक द्वारा उक्त भूमि पर से कब्जा नहीं छोड़ा जा रहा है। यह बात सही है।
- 4/ यह कि उक्त भूमि से कांति बाई पति हेमराज जाति अहीर का कब्जा हटाया जावे एवं कब्जा आवेदक जैमवती बाई पति सुखराम जाति गोंड को दिया जावे जिस वास्ते उक्त शपथपत्र पेश कर रहा हूँ।
- 5/ यह कि मैं शपथकर्ता का शपथपत्र सत्य व सही है।

धनौरा/दिनांक
02/06/2023

अन्तुलाल उइके
शपथकर्ता

// सत्यापन //

मैं, सत्यापनकर्ता अन्तुलाल उइके पिता ठम्मु लाल उइके उम्र 65 वर्ष जाति गोंड निवासी बरेली तहसील धनौरा जिला सिवनी मध्य प्रदेश सत्यापित करता हूँ कि शपथपत्र में अंकित कंडिका 1 से 5 तक दी गई जानकारी मेरे स्वज्ञान से सत्य व सही है।

धनौरा/दिनांक

02/06/2023

अन्तुलाल उइके
सत्यापनकर्ता

कार्यालय राजस्व निरीक्षक धनौरा

स्वेगोपित सूचना पत्र

प्रति

श्री मान भाना प्रभासी महोदय

भाना धनौरा जिला सिवनी

विषय अनावेदक को भूके से बेदखल कर आवेदक को कब्जा दिलाये जाने बाबत।

संदर्भ न्यायालय तहसील धनौरा के आदेश क्रमांक 11/02/2023 दिनांक 13/06/2023 को।

उपरोक्त विषयांतर्गत सुनिश्चित पत्र के परिपालन में लेख है कि आवेदक जैमवती

पति सुखराम जाति गोंड निवासी बरेली तहसील धनौरा जिला सिवनी स्थित भूमि खसरा नम्बर 282 रकबा 0.71 हे0 का कब्जा पाया गया है।

रा0प्र0क0 11/02/2023 को आवेदक जैमवती पति सुखराम जाति गोंड को भूके से बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया जा चुका है। कब्जा दिलाये जाने हेतु दिनांक 11/02/2023 को आवेदक जैमवती पति सुखराम जाति गोंड को पुलिस बल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि :

राजस्व निरीक्षक
धनौरा